राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 66/2022 अपील

1. आनन्द अग्रवाल पिता कामदत्त अग्रवाल निवासी सी–189 काशीपुरी, भीलवाड़ा 2. डायरेक्टर, सोमिला टैक्स फैब (इंडिया) प्रा० लि० बडलियास तह–कोटडी भीलवाडा (राज०)	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार कोटड़ी भीलवाडा (राज०)
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अंन्तर्गत धारा 75 राज० लेन्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
अपील विरुद्ध नायब तहसीलदार बडलियास के धारा 91 में बप्रकरण 118/2020 में पारित निर्णय दिनांक 28/12/2020

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, रेस्पोन्डेन्ट ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 04/03/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः अपीलाण्ट ने न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त, अजमेर के प्र0स अपील एल०आर०ए संख्या 41/2021 में पारित निर्णय के संदर्भ में एन०टी० बडलियास के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई । नायब तहसीलदार के उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली मय 13/– शास्ति के आदेश पारित किए। उक्त आदेश के विरूद्ध अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा न्यायालय में अपील 7/2021 दर्ज हुई जिसमें नायब तहसीलदार बडलियास को इंचार्ज कमेटी बनाकर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि 1231/1074 का सीमाज्ञान करने के निर्देश दिए गए। प्रकरण को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण दिनांक 30.03.2021 को अति. जिला कलक्टर भीलवाडा न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया गया जिसमें सीमाज्ञान कमेटी का अध्यक्ष एनटी बडलियास को बनाया गया।

अपीलाण्ट ने सीमाज्ञान में कमेटी इंचार्ज नायब तहसीलदार बडलियास बनाए जाने पर एतराज दर्ज कराया क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार बडलियास स्वयं ही है एवं सीमाज्ञान में सोमिला टैक्स फैब प्रा0 लि0 को पक्षकार बनाए जाने हेतु निवेदन किया गया । अपीलाण्ट ने यह अवगत कराया कि वह अपने क्रयशुदा भूखण्ड

4.3.26
अति. जिला कलक्टर
भील...

पर काबिज है, अतिक्रमी नहीं है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के आदेश में उक्त आंशिक संशोधन हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उक्त अपील पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया, उभयपक्ष को सुना गया।

विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त के निर्णय की पालना में इस न्यायालय के पूर्व आदेश क्रमांक 07/2021 निर्णय दिनांक 30.03.2021 में आंशिक संशोधन स्वीकार किया जाता है। सीमाज्ञान कमेटी का इंचार्ज नायब तहसीलदार बडलियास के स्थान पर तहसीलदार कोटड़ी को बनाया जाता है। सोमिला टैक्स फैब (इंडिया) प्रा० लि० को पक्षकार कायम किया जाता है। अतएव–

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार बडलियास के प्रकरण संख्या 118/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 स्वीकार की जाकर इसी अनुक्रम में इस न्यायालय द्वारा पारित प्र.स. 07/2021 निर्णय दिनांक 30.03.2021 में आंशिक संशोधन कर नायब तहसीलदार बडलियास की अध्यक्षता के स्थान पर तहसीलदार कोटड़ी को सीमाज्ञान कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है।

तहसीलदार,कोटड़ी(अध्यक्ष,सीमाज्ञान कमेटी) प्रश्नगत प्रकरण में सभी संबंधित पक्षकारों को सुनकर, नए सिरे से रिपोर्ट प्राप्त कर, प्राप्त रिपोर्ट में विधिवत प्रावधानों के तहत 01 माह में निस्तारण की कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटड़ी व नायब तहसीलदार बडलियास को प्रेषित की जाए। निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.3.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा